राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः NRHM/RCH-II/JSY/11/ 2290 दिनांकः 5-08-11-

बैठक कार्यवाही

श्रीमान मिशन निदेशक (एनआरएचएम) के आदेश कमांक एनआरएचएम/आरसीएच–II/ जेएसवाई/11/2290 दिनांक 04.08.11 के द्वारा राज्य स्तर पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम में उपयोग हेतु रैफरल ट्रांस्पोर्ट हेतु 24 घंटे टोल फ्री नम्बर पर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए समाधान खोजने हेतु गठित समिति की बैठक आज दिनांक 05.08.11 को प्रातः 10.00 AM पर निदेशक (आरसीएच) के कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार सदस्य गण उपस्थित हुएः–

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1	डॉ. एम. एल. जैन	निदेशक (आरसीएच)
2	श्री वी. एस. बांकावंत	परियोजना निदेशक (एनआरएचएम)
3	श्री हनुमान प्रसाद	वित्तीय सलाहकार (एनआरएचएम)
4	डॉ. एम. पी. बुडानिया	अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच)
5	श्री निलेश शर्मा	मुख्य लेखा अधिकारी (प.क.)
6	डॉ. नरेश कुमार	नोडल अधिकारी (जेएसवाई/जेएसएसके)

समिति के सदस्यों ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम के तहत गर्भवती एवं प्रसूता माताओं एवं 30 दिन तक की उम्र के बीमार नवजात शिशुओं को आवश्यकता अनुरूप रैफरल ट्रांस्पोर्ट की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उपलब्ध निम्न लिखित वैकलपिक सुविधाओं के बारे में गहन विचार –विमर्श कर निम्नानुसार सर्वसम्मत सुझाव/समाधान प्रेषित कियेः–

1. राज्य स्तर पर भविष्य में शीघ्र ही उपलब्ध करवायी जाने वाली मेडिकल एडवाइस कॉल सेन्टर (टोल फ्री नम्बर 104) को जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम में भी उपयोग करने पर विचार –विमर्श कर सुझाव प्रेषित किया गया। उक्त सुविधा को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा अभी तक पूर्ण रूप से टोल फ्री नहीं किया जा सका है एवं इस

पर और समय लगने की संभावना है, साथ ही इसके लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रकचर यथा भवन निर्माण, फर्निशिंग आदि पूर्ण रूप से विकसित किया जाना अभी बाकी है, यही नहीं अभी तक उसकी वित्तीय निविदाऐं भी खोली जानी है उसके बाद सफल निविदादाता को कार्य आदेश दिया जायेगा। कार्यआदेश क पश्चात सफल निविदादाता आवश्यक उपकरण वगैरह को स्थापित करने हेतु समय लगेगा। इस प्रकार जेएसएसके स्कीम में निःशुल्क रैफरल ट्रांस्पोर्ट की प्रभावी व्यवस्था का कियान्वयन एवं प्रबन्धन माह अक्टूबर से पूर्व टोल फ्री नम्बर 104 पर संभव नहीं हो पायेगा।

2. जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालयों में मल्टीपर्पज टोल फ्री नम्बर 1077 की जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में निःशुल्क रैफरल ट्रांस्पोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के लिए उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में भी विचार किया गया जिसमें यह तथ्य उभर कर सामने आया कि उक्त टोल फ्री नम्बर मुख्यतया आपदा प्रबन्धन आदि के लिए जिला कलेक्ट्रेट स्तर पर उपयोग लिया जाता है जिसके लिए कोई सॉफ्टवेयर (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी) आदि का उपयोग नहीं किया जाता है, इस प्रकार जेएसएसके स्कीम में इसका उपयोग वांछित नतिजे नहीं दे सकेगा। उक्त सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन भी नहीं है।

3. 108 ऐम्बुलेंस (टोल फ्री नम्बर) का जेएसवाई स्कीम में गर्भवती एवं प्रसूता माताओं के रैफरल ट्रांस्पोर्ट में वर्तमान में प्रभावी एवं सफल उपयोग किया जा रहा है। 108 नम्बर जन साधारण में काफी लोकप्रिय हो चुका है जिसकी उपयोगिता अधिक है। वर्तमान में संस्थाग प्रसव हेतु आने वाली महिलाओं में लगभग 10 प्रतिशत महिलाऐं 108 ऐम्बुलेंस का उपयोग कर रही है। 108 टोल फ्री नम्बर राज्य स्तर पर पहले से ही कार्यशील स्थिति में है जिसका उपयोग जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में रैफरल ट्रास्पोर्ट हेतु कॉल सेन्टर की सुविधा निःशुल्क दूरभाष नम्बर 108 पर उपलब्ध करवाये जाने के लिए किया जाना ज्यादा सुगम एवं जन हित में शीघ्र ही लाभकारी साबित हो सकता है।

अतिरिक्त निदेशक (आरसीएच)	परियोजना निदेशक (एनआरएचएम)	निदेशक (आरसीएच)
नोडल अधिकारी (जेएसवाई / जेएसएसके)	मुख्य लेखा अधिकारी (प.क.)	वित्तीय सलाहकार (एनआरएचएम)